उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:- 46/2024/543/छप्पन-2024-36/2014
लखनऊ,दिनांक: 23 अप्रैल, 2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1268/छप्पन-2014-19/2011 दिनांक 31 जुलाई, 2014 के द्वारा श्री दिनेश श्रीवास्तव को पायलट (रोटर विंग) के पद पर रु0 2.50 लाख के नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री दिनेश श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया। तदोपरान्त श्री दिनेश श्रीवास्तव की संविदा सेवा अवधि समय-समय पर निदेशालय के प्रस्तावानुक्रम में बढ़ाई जाती रही है। श्री दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) जो दिनांक 31 मई, 2024 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर रहे हैं। निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या-09/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2024 दिनांक 09 अप्रैल, 2024 द्वारा श्री दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) के ई-मेल प्रार्थना पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2024 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि 60 वर्ष की आयु के उपरान्त सेवा में बनाए रखने का प्राविधान विभागीय नियमावली/शासनादेश में फिलहाल नहीं है अतएव श्री दिनेश श्रीवास्तव से निष्पादित अनुबन्ध पत्र की शर्त संख्या-07 में दी गई व्यवस्थानुसार इनके उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2024 को त्याग-पत्र की नोटिस मानते हुए 03 माह उपरान्त अर्थात दिनांक 11 अप्रैल, 2024 को कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र दिनांक 09 अप्रैल, 2024 एवं श्री दिनेश श्रीवास्तव के ई-मेल दिनांक 11 जनवरी, 2024 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल दिनेश श्रीवास्तव के त्याग-पत्र पर इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं कि दिनांक 11 अप्रैल, 2024 के अपरान्ह से कार्यमुक्त किए जाने के पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग एवं श्री दिनेश श्रीवास्तव के मध्य निष्पादित संविदा विषयक अनुबन्ध-पत्र तथा इनके द्वारा ट्रेनिंग हेतु निष्पादित बाण्ड की शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुरूप उन पर यदि कोई देनदारी है तो उसे नियमानुसार जमा करा लिया जाए। साथ ही अपेक्षित अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के बाद ही उन्हें सेवामुक्त किया जाए।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-46/2024/543(1)/छप्पन-2024-36/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार, ई0एस0-III, ऑडिट भवन, टी0सी0-35-वी 1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. श्री दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/कार्मिक-1
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।